इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 8 अंक सं. :9 अप्रैल, 2016 पृष्ठों की सं 14

दर्शन (**विज़न**)**:** "बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में सूक्ष्म व्यावसायिक विकसित और शिक्षित करना।

ध्येय (**मिशन**) **:** "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।"

इस अंक में

मौद्रिक नीति ---------- --2
मुख्य घटनाएं ----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- 6
विनियामकों के कथन ---------- 7
अर्थव्यवस्था ----------7
सहकारी बैंकिंग ---------- 8
नयी नियुक्तिया ---------- 8
उत्पाद एवं गठजोड ---------- 8
शब्दावली ---------- ---------- -------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------9
बाज़ार की खबरें ----------10

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2016-17 : 5 अप्रैल, 2016

मौद्रिक एवं चलनिधि सम्बन्धी उपाय

वर्तमान और उभरती स्थूल आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैक ने निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया है :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 6.75% से 25 आधार अंक घटा कर 6.5 % करना;
- 16 अप्रैल, 2016 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) के न्यूनतम दैनिक रख-रखाव को आवश्यकता के 95 प्रतिशत से घटा कर 90 प्रतिशत करना, जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4.0% पर अपरिवर्तित रखना;
- यथा-आवश्यक चलनिधि प्रदान करने का क्रम जारी रखना, किन्तु प्रणाली में विद्यमान औसत प्रत्याशित चलनिधि घाटे को निवल मांग एवं सावधि देयताओं के एक प्रतिशत से क्रमिक रूप से कम करके तटस्थता के निकट वाली स्थिति में लाना; और
- भारित औसत मांग दर (WACR) का पुनर्खरीद दर के साथ उत्तम संरेखण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 75 आधार अंक घटा कर और प्रति पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर नीतिगत दर गलियारे को +/- 100 आधार अंक (bps) से संकीर्ण करके +/- 50 आधार अंक तक लाना;

फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रति-पुनर्खरीद दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 7.0 प्रतिशत पर समायोजित रखी गई है। बैंक दर, जो सीमांत स्थायी सुविधा से संरेखित हैं, भी 7.0 प्रतिशत पर समायोजित रखी गई है।

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को निदेश : बचत खातों पर ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर

करें

बचत खाता धारकों के लाभ के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान तिमाही आधार या कमतर अवधि पर करने के लिए कहा है। वर्तमान में, ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर जमा किया जाता है। बचत बैंक खातों पर ब्याज दर की गणना 1 अप्रैल, 2010 से दैनिक आधार पर की जाती है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बचत जमाराशियों (घरेलू बचत जमाराशियों) पर ब्याज तिमाही अथवा कमतर अंतराल पर जमा किया जाएगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंक फसल बीमा योजना के प्रावधानों का पालन करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को फसल बीमा योजनाओं के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अप्रैल, 2016 से अच्छी-खासी संख्या में गैर-ऋणी किसानों के साथ ही निर्धारित ऋणी किसानों की 100% व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मौसमी कृषि कार्य (SAO) ऋण लेने वाले ऋणी किसानों / किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए यह योजना अनिवार्य है। वर्तमान प्रणाली में बैंक भूमि के आवश्यक आंकड़े तथा किसानों की पसलों के विवरण प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न फार्मों का उपयोग कर रहे हैं, जो इस प्रणाली से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों को सत्यापन के लिए अभिगम्य नहीं होते।

शेयर बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले मुद्रा भावी सौदों में प्राथमिक व्यापारियों के लिए मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों (PDs) के लिए अनुमोदित शेयर बाजारों में खरीदे-बेचे जाने वाले मुद्रा भावी सौदों (currency futures) में सहभागिता करने के लिए अनुमति देने हेतु मानदंड जारी किए हैं, बशर्ते वे कुछेक जोखिम नियंत्रण उपायों का पालन करें और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में मौजूदा दायित्वों की अनदेखी न करें। इससे मुद्रा भावी सौदा बाज़ार में सहभागिता प्रोफाइल को विविधीकृत करने तथा बाज़ार को और अधिक गहराई प्रदान करने में सहायता प्राप्त होने की आशा है। मुद्रा भावी सौदों के प्रति एक्सपोजर को प्राथमिक व्यापारियों के मामले में मुख्येतर गतिविधि माना जाएगा। केवल न्यूनतम 250 करोड़ रुपये या विविधीकृत गतिविधि आरंभ करने हेतु यथा-निर्धारित किसी भी रकम की निवल स्वाधिकृत निधियों वाले प्राथमिक व्यापारियों को ही मुद्रा भावी सौदों में सहभागिता करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी मुख्येतर गतिविधियों जिनसे पूंजी का उपभोग किए जाने की आशा हो, के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधियों के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋणों के निराकरण हेतु संशोधित नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे व्यवसायों को अग्रिमों के पुनरुज्जीवन से सम्बन्धित नियमों को संशोधित कर दिया है और ऋणदाताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को दबावग्रस्त ऋणों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समितियां गठित करने के लिए कहा है। इन नियमों को 25 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमाओं का उपयोग करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुज्जीवन एवं पुनर्वास के लिए संशोधित किया गया है। उच्चतर एक्सपोजर वाले खातों की पुनर्संरचना को कंपनी ऋण पुनर्संरचना (CDR) अथवा संयुक्त ऋणदाता मंच (JLF) व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्तमान संशोधित ढांचे को परिचालित करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को 30 जून, 2016 से पहले लागू कर दें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III पूंजी विनियमन संशोधित किया

वर्तमान पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण किए जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च, 2016 को बैंकों की विनियामक पूंजी के निर्धारण के उद्देश्य से तुलनपत्र की कुछेक मदों के विवेचन में कुछ संशोधन किया है। उक्त पुनरीक्षण विनियामक पूंजी की परिभाषा को बैंकिंग पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बासेल समिति (BCBS) द्वारा □तरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई विनियामक पूंजी मानकों के साथ और अधिक संरेखित करने के उद्देश्य से किया गया था। इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं थीं : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों का विवेचन। बैंक की सम्पत्ति के पुनर्मूल्यन की रखाव रकम में परिवर्तन से उद्भूत पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्ययीन इसके पूर्व यथा निरूपित टियर 2 पूंजी की बजाय 55 प्रतिशत के बट्टे पर सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET1) माना जाएगा :

- बैंक स्वयं अपनी इच्छा पर उक्त सम्पत्ति को तुरंत बेचने में समर्थ हो और सम्पत्ति को बेचने में कोई कानूनी अड़चन न हो;
- पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां बैंकों के तुलनपत्र में आरक्षित निधियां और अधिशेष अनुसूची 2 के अधीन दर्शाई जाती हों;
- पुनर्मूल्यन यथार्थपरक और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार हों;
- मूल्यांकन कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में दो स्वतंत्र मूल्यांककों से करवाए जाते हों; □हां सम्पत्ति का मूल्य किसी घटना द्वारा पर्याप्त रूप से ह्रासित हो गया हो, उनका तत्काल पुनर्मूल्यन किया जाना चाहिए तथा पूंजी पर्याप्तता परिकलनों में उपयुक्त रूप से हिसाब में लिया जाना चाहिए;
- बैंक के बाहरी लेखा-परीक्षकों ने सम्पत्ति के पुनर्मूल्यन के सम्बन्ध में कोई सशर्त विचार न व्यक्त किए हों; विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियों का विवेचन : किसी बैंक के विदेशी

परिचालन के वित्तीय विवरणों के रिपोर्टिंग वाली मुद्रा में रूपांतरण के कारण उद्भूत होने वाली विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियों (FCTR) को निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने की शर्त पर 25 प्रतिशत के बट्टे पर सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी माना जा सकता है।

- विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित पुनर्मूल्यन (FCTR) बैंकों के तुलनपत्र में आरक्षित निधियां और अधिशेष अनुसूची 2 के अधीन दर्शाए □ते हों;
- बैंक के बाहरी लेखा-परीक्षकों ने विदेशी मुद्रा रूपांतरण पुनर्मूल्यन के सम्बन्ध में कोई सशर्त विचार न व्यक्त किए हों;

(i) संचित हानियों से जुड़ी आस्थगित कर आस्तियों (DTAs) और ऐसी अन्य आस्तियों को सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी से पूर्ण रूप से घटा दिया जाना चाहिए।

(ii) काल-मापन अंतरों (संचित हानियों से सम्बन्धित को छोड़कर) के कारण उद्भूत होने वाली आस्थगित कर आस्तियों की पहचान बैंकों के विवेक पर बैंक की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत तक सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के रूप में की जा सकती है।

चलनिधि जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित अनुदेश संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल की घटनाओं, हितधारकों से प्राप्त प्रति-सूचना और प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 23 मार्च, 2016 को बासेल III मानदंडों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबन्धन मापने से सम्बन्धित कुछेक अनुदेशों को संशोधित कर दिया। शामिल किए गए कुछेक संशोधित मानदंडों में निम्नलिखित का समावेश है :

- संरचनात्मक चलनिधि के विवरणों (SLS) में समय समूहों, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) से सम्बन्धित विवरण में निगरानी सम्बन्धी आवश्यकता संशोधित कर दी गई है;

- चलनिधि व्याप्ति अनुपात निगरानी सम्बन्धी आवश्यकता के साथ गतिशील चलनिधि विवरण में समय समूह संशोधित कर दिए गए हैं।

- स्तर 2बी के तहत निर्धारित आस्तियों के अलावा 1 फरवरी, 2016 से कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (वाणिज्यिक पत्रों सहित) को 50 प्रतिशत के हेयरकट तथा प्रतिभूतियों के सामान्य मूलभूत एवं बाज़ार से सम्बन्धित उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध आस्तियों की विशेषताएं रखने वाली तथा कुछेक शर्तों को पूरी करने वाले होने की शर्त पर स्तर 2 बी वाली उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध आस्तियां (HQLAs) माना जा सकता है।

- ˙ बैंक सामान्यतया ग्राहकों की जमाराशियों के समक्ष ऋण की अनुमति देते हैं। ऋण सुविधा

या बैंक द्वारा मंजूर किए गए उस ऋण को प्रतिभूत करने के लिए जो अगले 30 दिनों तक परिपक्व नहीं होगा या निपटाया नहीं जाएगा, किसी जमा के संविदात्मक रूप से बैंक के पास संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखे जाने पर बैंक इसप्रकार की गिरवीकृत जमा को चलनिधि व्याप्ति अनुपात की गणना अर्थात् वहिर्वाहों से चुनिंदा शर्तों के अध्ययीन अलग रख सकते हैं।

- विदेशी बैंकों की शाखाओं को सार्थक मुद्रा द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी गई है, क्योंकि वें किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध आस्तियां (HQLAs) नहीं रखतीं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

उदय योजना : प्रतिभूतियों का निजी अभिनियोजन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उदय योजना के तहत निजी अभिनियोजन मार्ग के जरिये विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के इच्छुक बाज़ार के सहभागियों से 30 मार्च, 2016 तक उससे संपर्क करने के लिए कहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में ऋणग्रस्त बिजली वितरण कम्पनियों (DISCOMs) के पुन: प्रवर्तन के लिए नवम्बर, 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना की शुरुआत की थी। उदय के अधीन विशेष प्रतिभूतियां बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब और राजस्थान सरकारों द्वारा जारी की जा रही हैं।

खाता समाहर्ताओं के लिए नियमों का प्रारूप

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नयी प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs), जिन्हें खाता समाहर्ता (NBFC-AAs) कहा जाएगा, के लिए विनियमों के प्रारूप की घोषणा की है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-खाता समाहर्ता (account aggregator) ग्राहकों की वित्तीय आस्तियों की सूचना एक समेकित, संगठित एवं पुर्नप्राप्य विधि से एकत्रित और प्रदान करेंगे। नये विनियम बैंक जमाराशियों, पारस्परिक निधियों, पेंशन उत्पादों और बीमा पॉलिसियों जैसे वैयक्तिक निवेशों को एकल समेकित रूप में देखने की सुविधा प्रदान करेंगे।

वित्तीय उत्पादों (FPs) के वितरण में प्रोत्साहन से सम्बन्धित सिफारिशें

रिज़र्व बैंक ने 4 मार्च, 2016 को वित्तीय उत्पादों की अप-बिक्री रोकने और वितरण प्रोत्साहनों को युक्तियुक्त बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए समिति की सिफारिशों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया है। भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त सचिव श्री सुमित बोस

की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त, 2015 को प्रस्तुत की तथा उसने वित्तीय उत्पादों के वितरण में प्रोत्साहन ढांचे के सम्बन्ध में कई एक सिफारिशें की थीं। उक्त रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विनियामकों के कथन

मौद्रिक नीति से सम्बन्धित मुद्दों से निपटने के लिए ब्रेटन वूड्स जैसा समझौता

12 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित "आगे बढ़ता एशिया : भविष्य के लिए निवेश" पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष / भारत सरकार के सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा कि हाल की तिमाहियों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वृद्धि के अपने पूर्वानुमानों को बार-बार घटाए जाने के परिणामस्वरूप विश्वभर में तीव्र वृद्धि के कुछ ही क्षेत्र रह गए हैं। धीमी वृद्धि की यह अवधि विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि अद्योगिक देश और कई एक उभरते बाज़ार वाले देशों, दोनों ही को घरेलू राजनीतिक तनावों को शांत करने के लिए उच्च वृद्धि की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में ऐसी नीतियां, जिनमें नयी वृद्धि सृजित करने की बजाय अन्यों से वृद्धि को दूसरे मार्ग से ले जाने का प्रयास किया जाता हो या अन्यत्र अस्थिरता पैदा करते हुए वृद्धि सृजित करती हो, लागू किए जाने की संभावना अधिक होती है। "हमारी ओर से स्थिर वृद्धि की स्थितियां निर्मित किए जाने के बाद भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पालन करें हमें बहुपक्षीय संगठनों द्वारा निष्पक्ष रूप से पुनर्बलित प्रतियोगिता के नये नियमों की जरूरत पड़ती है। इस सम्मेलन को यह तय करना होगा कि क्या ब्रेटन वूड के अनुरूप व्यवस्था के साथ ही एक नये अंतरराष्ट्रीय करार की आवश्यकता है अथवा क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करार के अनुच्छेदों में छोटे परिवर्तन करके काफी कुछ किया जा सकता है।"

अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को 2016-17 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7%रहने की आशा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 2015-16 में 7.3% की तुलना में 7.5% की दर से बढ़ने की संभावना है।अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय प्राधिकारियों को सुनिर्धारित माल एवं सेवा कर प्रणाली सहित सुधारों को लागू करने, बैंक की आस्ति गुणवत्ता की पहचान के लिए विवेकसंमत विनियमन को सुदृढ़ बनाने, खाद्य एवं उर्वरक आर्थिक सहायताओं को युक्तियुक्त बनाने तथा भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाने की सलाह दी है।

सहकारी बैंकिंग

राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात

रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च, 2016 को राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (St CBs /DCCBs) को टियर 1 पूंजी के तहत निम्नलिखित मदें शामिल करने की अनुमति दे दी है : i. जहा उप-विधि ऐसे सदस्यों को शेयर आबंटन की अनुमति देती हों, वहा सहयोगी / नाममात्र के सदस्यों से प्राप्त अंशदान, बशर्ते नियमित सदस्यों के लिए यथा-प्रयो□य इसप्रकार के शेयरों के वापस लिये जाने पर प्रतिबंध हों। ii. नाममात्र और सहयोगी सदस्यों से वसूल किये गये ऐसे अंशदान / वापस न करने योग्य प्रवेश शुल्क जो उपयुक्त शीर्षों के तहत आरक्षित निधियों के रूप में अलग से रखे गए हैं, क्योंकि ये वापस न करने योग्य हैं। iii. बैंक द्वारा इस आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (DTL) सृजित किए जाने पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि में बकाया रकम।

नयी नियुक्तियां

नाम	**पदनाम / संगठन**
श्री नटराजन चंद्रशेखरन श्री भरत दोशी श्री सुधीर मंकड़	निदेशकगण, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री संजीव मिश्र	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, ऐक्सिस बैंक
श्री बी.पी. कानूनगो	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय स्टेट बैंक	उबेर	उबेर के प्लेटफार्म पर चालक-भागीदारों को वाहन वित्त प्रदान करना।
ऐक्सिस बैंक	डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल	कार्डधारकों को वैश्विक स्वीकार्यता प्रदान करने हेतु विदेशी मुद्रामें पूर्व-प्रदत्त कार्ड।

शब्दावली

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) 188 देशों का एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने, उच्च रोज़गार और वहनीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने तथा विश्वभर में गरीबी कम करने के लिए कार्य करता है। 1945 में सृजित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष उन 188 देशों द्वारा अभिशासित होता है, जो इसकी लगभग विश्वव्यापी सदस्यता संघटित करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आशोधित अवधि

आशोधित अवधि = मैकाले अवधि / (1वाई/एम), जिसमें 'वाई' प्रतिफल (%) है, 'एम' एक वर्ष में किए जाने वाले चक्रवृद्धिकरण की संख्या है। उदाहरण के लिए यदि ब्याज का भुगतान वर्ष में दो बार किया जाता है, तो एम = 2 आशोधित अवधि प्रतिफल में 1% परिवर्तन के लिए किसी बॅण्ड की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का एक माप होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, 2016 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रमों के नाम	तिथियां	स्थल
1	आईडीबीआई बैंक के लिए प्रबशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	7 से 8 अप्रैल, 2016	भुबनेश्वर
2	आईडीबीआई बैंक के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	11 से 12 अप्रैल, 2016	बेंगलूर
3	वसूली प्रबन्धन	20 से 22 अप्रैल, 2016	मुंबई
4	प्रमाणित ऋण अधिकारी - परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	25 से 29 अप्रैल, 2016	मुंबई
5	आवास वित्त	25 से 27 अप्रैल, 2016	मुंबई

संस्थान समाचार

संस्थान का व्यावसायिक विकास केन्द्र

हिन्दुस्तान बिल्डिंग (अनेक्सी), 7वीं मंजिल, 4, सी.आर एवेन्यू, कोलकाता -700 072 में स्थित संस्थान के व्यावसायिक विकास केन्द्र का उद्घाटन 20 अप्रैल, 2016 को किया जाएगा, जिसके बाद "साख गणना" पर एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।

संस्थान का स्थापना दिवस

संस्थान ने 3 अप्रैल, 2016 को अपना स्थापना दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर गांधी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा मुख्य व्याख्यान देंगे।

बैंक क्वेस्ट - आगामी अंकों की विषय-वस्तुएं

"बैंक क्वेस्ट" के आगामी पांच अंकों की विषय-वस्तुएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :

- जुलाई - सितम्बर, 2016 : दबावग्रस्त खाते का प्रबन्धन और वित्तीय स्थिरता
- अक्तूबर - दिसम्बर, 2016 : डिजिटल बैंकिंग
- जनवरी - मार्च, 2017 : व्यवसाय विश्लेषण
- अप्रैल - जून, 2017 : मूलभूत सुविधा वित्तीयन में चुनौतियां

अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा

संस्थान अप्रैल, 2016 के बाद से अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा का आयोजन तिमाही आधार पर करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

इसके अतिरिक्त, ये परीक्षाएं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के मुंबई और कोलकाता परीक्षा केन्द्रों पर अगस्त और सितम्बर के महीनों में दूसरे और चौथे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पंजीकृत

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

7.2
7.1
7
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
6.4
6.3

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, 2015-16

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

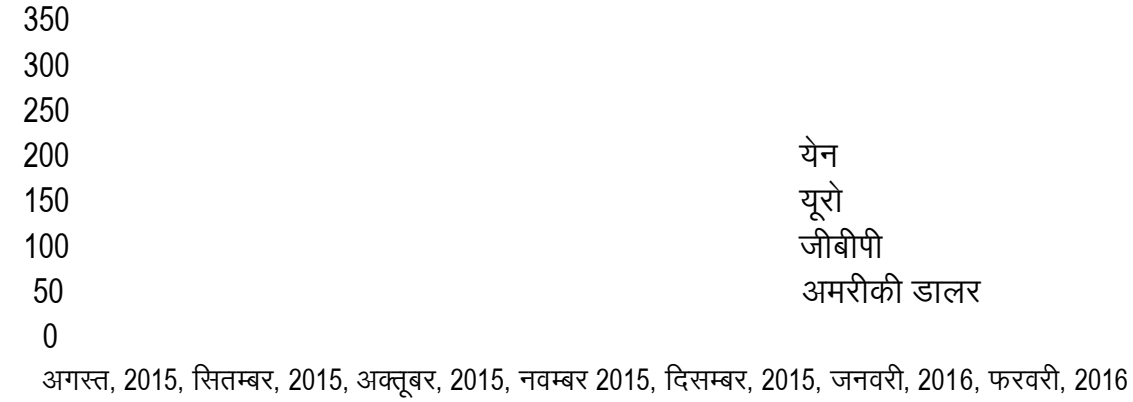

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

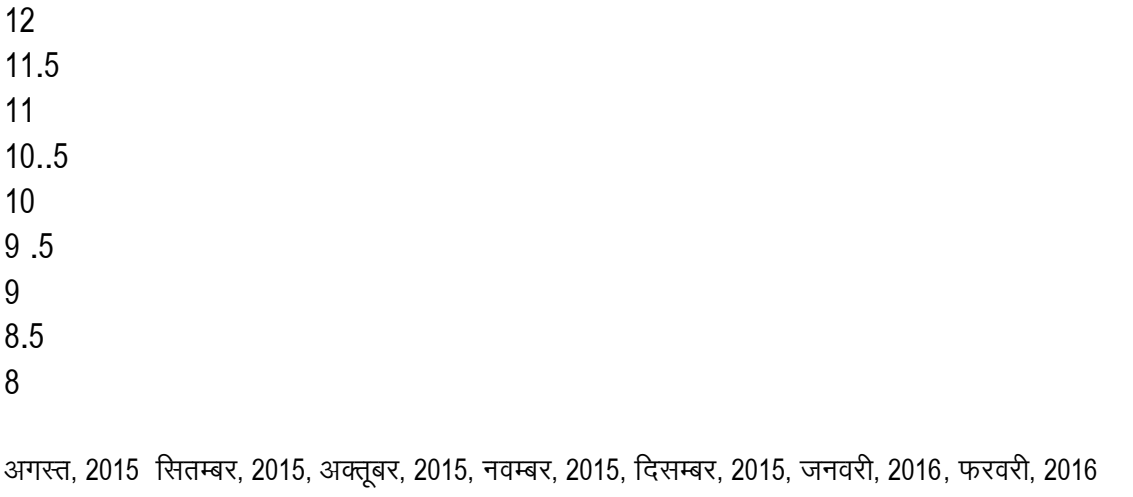

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, मार्च, 2016

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

26000
25000
24000
23000
22000
21000

सितम्बर, 2015, अक्तूबर, 2015, नवम्बर, 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी, 2016,जनवरी, 2016

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (**BSE**)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5

सितम्बर, 2015, अक्तूबर, 2015, नवम्बर, 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी, 2016, फरवरी, 2016

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, फरवरी, 2016

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा ऑनलुकर प्रेस, 16 सासून डॉक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अप्रैल, 2016